APP-A
crim-I

FORM NO. III

2019/06283

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

फर्द अहकाम
(नियम-26)

त.................................... नियम ....

.......सरकार........ बनाम ....तहसीलदार पचपदरा (कोरना)

जमा......131, 136 R.L.R. act नं. ....190...... सन् ....2019.........

	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9	राज्य सरकार की ओर से सरकारी पैरौकार उपस्थित। वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970 के तहत भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सम्बन्धित खसरे के खातेदारान के विरूद्ध पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की प्रकरण राजस्व विविध दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण खातेदारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तामिल/जबाब दिनांक 18/9/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
18/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब आज भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 30/9/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
30/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब आज भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 9/10/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
9/10/9	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारन उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत कोरना द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कोरना के खसरा सं-1	

Scanned by CamScanner

मे किस्म गैर मुमकिन पहाड़ी व गै.मु रड़ी की भूमियो के जमाबंदी कालम सं ५ मे पहाड़ी व गै. मु रड़ी तथा पर्वत (चारागाह हेतु) दर्ज है। पूर्व में कालम ५ मे केवल पहाड़ी तथा पर्वत दर्ज था। अतः शब्द (चारागाह हेतु) हटाने का आदेश दिलाने का निवेदन किया है।

इस बाबत तहसीलदार पचपदरा को जांच कर रिपोर्ट करने का आदेश किया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा उपतहसीलदार कल्याणपुर के द्वारा जांच करवाई गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोरना के खसरा संख्या 23, 39, 63, 85, 127, 128 किस्म गै.मु. पहाड़ा व ख०न० 53.71, 87, 183, 371, 421, 696, 742 किस्म गै मु० रड़ी की भूमि सरकारी भूमि है। उक्त सेटलमेन्ट से गै मु० पहाड़ व गै मु रड़ी की भूमी है। जमाबंदी सं. 2054-57 तक उक्त खसरा न. की भूमियो के कालम संख्या ५ मे पहाड़ियो तथा पर्वत दर्ज था। जमाबंदी सम्वत 2058-61 की प्रथम कम्प्युटर जमाबंदी बनाते उक्त जमाबंदी कालम संख्या ५ को पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह हेतु) दर्ज हो गया। उक्त शब्द (चारागाह हेतु)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

बिना किसी आदेश के दर्ज हुआ है।

तहसीलदार पचपदरा के प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण RLR Act 1956 की धारा 136 के तहत प्रकरण दर्ज किया एवं तहसीलदार पचपदरा को नोटिस जारी किया ~~गया~~ गया।

इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया गया। ग्राम कोरना के ख० 1, 23, 43, 63, 85, 87, 127, 128, 183, 371, 421, 696, 742, 39 किस्म गै मु. पहाड़ / गै.मु रडी किस्म की भूमिया जो सरकारी खाते मे है, जमाबन्दी के कायम सख्या -4 में पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह हेतु) दर्ज है। शब्द (चारागाह हेतु) जमाबन्दी से 2058-61 तहरीर जारी करते वक्त बिना किसी आदेश/नामान्तरण दर्ज हुआ है। यह अशुद्ध प्रविष्टि है जिसे हटाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम कोरना के ख० न० 23, 43, 63, 85, 87, 127, 128, 183, 371, 421, 696, 742, 39 कि भूमियों के सरकारी खाते मे जमाबंदी के कायम सख्या - 4 मे से (चारागाह हेतु) शब्द हटाने का आदेश

दिया जाता है। तहसीलदार
पचपदरा इसी अनुसार राजस्व
रेकर्ड में अमल दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner